






सामूहिक बलात्कार मामले में दिल्ली पुलिस के रवैये पर अदालत सख्त

पुलिस आयुक्त को नोटिस भेजकर मांगी सफाई

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 3 सितंबर।

राजधानी की एक अदालत ने सामूहिक बलात्कार के एक मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर पूछा है कि अदालती आदेशों का पालन नहीं करने पर क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। अदालत सामूहिक बलात्कार के मामले में एक आरोपी की जमानत पर सुनवाई कर रही थी। इसमें पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के दौरान कहा कि पीड़ित

अदालत ने पूछा, बार-बार अदालती आदेशों के उल्लंघन पर आयुक्त के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न की जाए। वही, पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज किया जाए।



द्वारा संगम विहार के थाना प्रभारी के समक्ष शिकायत दायर करने के लगभग 36 दिन बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। इस मामले में 17 अगस्त, 24 अगस्त और 29 अगस्त को कई दफा आला अफसरों से आरोपी पुलिसकर्मियों की जांच रपट तलब की गई थी। पुलिस उपायुक्त ने एक जवाब भी दाखिल

किया था लेकिन अदालत उससे संतुष्ट नहीं थी और पुलिस आयुक्त को जांच के लिए कहा था। अदालत ने कहा कि अगस्त 2022 में तीन अदालती आदेश जारी किए जाने के बावजूद पुलिस ने जानबूझकर इसका पालन नहीं किया। यह दिल्ली पुलिस के कामकाज की खराब और दयनीय स्थिति को दर्शाता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने 31 अगस्त को जारी एक आदेश में कहा- इसलिए, दिल्ली के पुलिस आयुक्त को इस बारे में नोटिस जारी किया जायुक कि आदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जाए।

सामान में कारतूस ले जाने का आरोपी बरी

नई दिल्ली, 3 सितंबर (भाषा)।

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने 'चेक-इन' बैग में चार कारतूस रखने के आरोप में शत्रु अधिनियम के तहत आरोपित एक व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन की जांच में 'खामिया' हैं और सामान में कारतूस रखवाए जाने की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। अदालत ने जांच अधिकारी (आइओ) को 'वृष्टिपूर्ण जांच' के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि अधिकारी ने "जानबूझकर जांच के बुनियादी नियमों का पालन नहीं किया। जांच के अन्य पहलुओं के अलावा, बैग (सामान) आइडी पचीं जव्त करने में विफल रहने, घटनास्थल पर जांच और सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलने को लेकर जांच अधिकारी (आइओ) को दोषी ठहराया।

दीवार के नीचे दबे तीन मजदूर, एक की मौत

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 3 सितंबर।

उत्तर पूर्वी जिले के मुस्तफाबाद इलाके में दीवार गिरने से तीन मजदूर घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डाक्टरों ने एक मजदूर मरने (25) को मृत घोषित कर दिया है। घायल फरमान और जाने आलम (42) का अस्पताल में उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि मजदूरों ने नींव ज्यादा गहरी

खोद दी थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ। दयालपुर थाना पुलिस ने ठेकेदार अनिश को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक, मुस्तफाबाद के पुरता रोड पर कुछ मजदूर शनिवार को एक मकान की नींव खोद रहे थे। उन्होंने नींव इतनी गहरी खोद दी जिससे बगल वाले मकान की दीवार ढह गई। हादसा शाम करीब 5 बजे हुआ। फरमान और जानेआलम के पैरों में फ्रैक्चर हुआ है, उनका उपचार चल रहा है।

प्रदूषण से निपटने को बढ़ाई जाएंगी 'एंटी स्मॉग गन'

नई दिल्ली, 3 सितंबर। दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने तीन अलग-अलग क्षेत्रों में स्थित कूड़े के पहाड़ों पर 'एंटी स्मॉग गन' की संख्या को बढ़ाने का फैसला किया है। हरित जंगल इलाके में अलग मशीनें लगंगी और इस सबका ब्लुप्रिंट भी तैयार होगा। यह काम उपराज्यपाल के निर्देश के बाद किया जा रहा है। इससे कचरे के पहाड़ों में आगजनी की घटनाओं और धूल पर भी कुछ हद तक लगाव लगेगी। (जस)

भारतीय खाद्य निगम FOOD CORPORATION OF INDIA 16-20, बाराखम्मा लेन, नई दिल्ली - 110001

कोरोना के 236 मामले, तीन की मौत

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 3 सितंबर।

राजधानी दिल्ली में शनिवार को कोरोना संक्रमण के 236 नए मामले सामने आए और तीन लोगों की मौत हो गई। संक्रमण दर 1.68 फीसद रही। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के 299 नए

मामले सामने आए थे और दो लोगों की मौत हो गई थी। संक्रमण दर 2.17 फीसद रही थी। दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के 271 नए मामले मिले थे और तीन मरीजों की मौत की पुष्टि हुई थी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, एक दिन पहले 13,772 नमूनों की जांच की गई थी।

कांग्रेस की हल्ला बोल रैली : पुख्ता बंदोबस्त

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 3 सितंबर।

कांग्रेस पार्टी की ओर से रविवार को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई, बेरोजगारी के विरोध में आयोजित हल्ला बोल रैली के लिए पुलिस की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किया गया था। देश के अन्य राज्यों और शहरों से भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शनिवार को भी दिल्ली में पहुंच गए थे। इस बाबत प्रदेश पार्टी की ओर से कई प्रचार का बंदोबस्त भी किया गया। सभी इकाईयों को पार्टी ने रैली में लगाया है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के भाषण से कांग्रेस भी इसमें जान फूंकने की तैयारी की है। दिल्ली पुलिस ने इस बाबत अस्पताल को छोड़कर अन्य जगहों पर कुछ रैली के मार्ग होकर बचने की भी सलाह दी है।

'दिल्ली माडल वर्चुअल स्कूल' को अब तक मिले 800 आवेदन

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 3 सितंबर।

हाल में शुरू किए गए दिल्ली माडल 'वर्चुअल स्कूल' (डीएमवीएस) में दाखिले के लिए अब तक करीब 800 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बताया जा रहा है कि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जा सकती है। यह अभी छह सितंबर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बुधवार को डीएमवीएस की शुरुआत

Jagan जन लैम्पस लिमिटेड सीआईएन: L31501IHR1993PLC033993

अंतिम 2 वैश्वी महक गुरु ईड एग्सीक्यूटिव (सदरला संस्था एग्सीक्यूटिव 10703, सीपी संस्था 15013), इनिवर्सिटी कंपनी सर्विस को ई-वोटिंग प्रक्रिया की प्रिया और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए सर्वोच्च के रूप में नियुक्त किया है। 30वीं वार्षिक, एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए विरक्त अफिलिटेड 30वीं एजीएम की सूचना में निहित है। एजीएम में किए जाने वाले व्यवहार को वरगों से संबंधित प्रारंभिक दस्तावेज कार्य दिवसों पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरोधन के लिए सख्त किया है। सदस्य एजीएम से संबंधित दस्तावेजों के निरोधन के लिए कंपनी को cs@jaganlamps.com पर लिखकर भी अनुरोध कर सकते हैं। सदस्यों के लिए अपना वोट डालने के लिए निर्देश 30.05.2022 को अंतिम तिथि 22.09.2022 है। अंतिम सांघार, एक बार आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद 28.10.2022 से पहले भुगतान किया जाएगा। जिस तरीके से शेयरधारक अपने लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने बैंक बैंक को पंजीकृत करना चाहते हैं, उनका विवरण एजीएम की सूचना में दिया गया है। सदस्यता यह भी सूचना दी जाती है कि अधिनियम की धारा 91 और सूचीबद्ध अधिनियमों के अधिनियम 42 के प्रावधानों के अनुसार, 30वीं एजीएम के प्रावधान के लिए सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी को शेयर प्रत्यक्ष रूप से शुरू कर, 23 सितंबर, 2022 से शुरू, 29 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बंद होगा।

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा-II (51521)

पारिशिट्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) चल/अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस ई-नीलामी दिनांक 20.09.2022 हेतु सूचना

Table with columns: क्र.सं., कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) का नाम, बसूली हेतु बकाया राशि जिसके लिए सम्पत्ति की बिक्री की जा रही है, सम्पत्ति(यों) का विवरण और टाईटल डीड धारक का नाम, आरक्षित मूल्य (₹) जिससे कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी, सम्पर्क हेतु नाम एवं मो. The table lists details for 5 different auction lots.

खाता/बालेट जिसमें ईएमपी बीजी जानी है: नैसर्स एमएससीटी लिमिटेड को साथ इसकी ई-नीलामी साइट https://www.msstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर पंजीकृत बोलीदाताओं के निजी बालेट एंटरफेस के माध्यम से। बोलीदाताओं को सूचीबद्ध मूल्यों की ईएमपी मर्रांर एमएससीटी लिमिटेड की ई-नीलामी वेबसाइट https://www.msstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर इसके पास अनुरोधित अपने बोलीदाता खाते पर जनिट घालान द्वारा अपने बैंक के एमईएफटी द्वारा अंतर्गत करनी होगी। किसी सहायता हेतु कृपया एमएससीटी हेल्पडेस्क को न. 033-40602403, 033-40609118, 033-40645316 पर सधा/अवधा प्राधिकृत अधिकारी (सम्पर्क हेतु व्यक्ति) को कॉल करें।